

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'बावन'

[28/11/2017]

प्रश्न सं. [क. 645]

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय,

वल्लभ भवन, भोपाल - 462004

परिशिष्ट "अ"

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक ०४ सितम्बर 2017

क्रमांक एफ 19-58/2017/1/4 :: सामान्य प्रशासन विभाग (कर्मचारी कल्याण) के आदेश क्रमांक एफ 5-9/2015/1-15/क.क. दिनांक 07.05.2016 द्वारा मध्यप्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ की मांगों एवं वेतन विसंगतियों के संबन्ध में विचार करने हेतु समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन अनुशंसाओं सहित प्रस्तुत किया है। प्रतिवेदन में उल्लेखित अनुशंसाओं का अध्ययन/परीक्षण एवं अनुशंसा करने हेतु राज्य शासन एतद् द्वारा प्रमुख सचिव, वित्त की अध्यक्षता में द्विसदस्यी समिति का गठन करता है। जिसमें अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग संयोजक होंगे।

2/ उक्त समिति आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के अधिकारियों को परामर्श हेतु आमंत्रित कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

( संजय कुमार )  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक: एफ 19-58/2017/1/4

भोपाल, दिनांक ०४ सितम्बर 2017

प्रतिलिपि:-

- 1- अध्यक्ष/संयोजक
- 2- प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
- 3- सामान्य प्रशासन विभाग(कर्मचारी कल्याण) की ओर जारी आदेश के साथ मूल नस्ती सहित।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

वित्त विभाग

वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

विषय:- लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों एवं अन्य मांगों पर विचार करने हेतु गठित समिति वर्ष 2016 के प्रतिवेदन के परीक्षण हेतु गठित समिति।

--00--

लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों एवं अन्य मांगों पर विचार करने हेतु गठित समिति वर्ष 2016 के प्रतिवेदन के परीक्षण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 23.10.2017 को अपराह्न 3.30 बजे आयोजित की गई बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे:-

1. श्री अनिरुद्ध मुकर्जी, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
2. श्री केकेके कातिया, अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
3. श्री अजय चौबे, उप सचिव, वित्त विभाग

2. समिति द्वारा उक्त प्रतिवेदन के बिन्दु क्र० 1 पर सर्व प्रथम विचार किया गया। समिति द्वारा यह जानना चाहा की सहायक ग्रेड-3 एवं कंप्यूटर ऑपरेटर की योग्यता क्या-क्या है समिति को दोनों ही पदों की योग्यता के संबंध में अवगत कराया गया। जिनमें भिन्नता परिलक्षित है।

3. समिति द्वारा यह तय किया गया कि इस प्रतिवेदन पर विचार हेतु शीघ्र ही आगामी बैठक की जाए और उसमें श्री रमेशचन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, म०प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण समिति एवं श्री सुधीर नायक, मंत्रालयीन कर्मचारी संघ आदि को भी आमंत्रित किया जाए।

  
(के.के. कातिया)

अपर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग